



मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका

संकलनकर्ता:

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख मध्यप्रदेश एवं

मध्यप्रदेश भू-अभिलेख प्रबंधन समिति, भोपाल

विषय - सूची

प्रस्तावना :-.....	2
1. पात्रता:	3
2. आबादी सर्वे:-	3
A) प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी.....	3
B) द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही.....	3
C) तृतीय चरण : सर्वे पश्चात कार्यवाही.....	3
3. प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी.....	4
3.1. महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान	4
3.2. आबादी के सर्वे की पूर्व तैयारी.....	4
3.2.1. विभिन्न समितियों का गठन	4
3.2.2. अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति एवं निगरानी हेतु चैकलिस्ट.....	8
4. द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही.....	8
4.1. प्ररूप नक्शे के निर्माण से पूर्व के कार्य	8
4.2. प्ररूप नक्शे का निर्माण.....	9
4.3. प्ररूप नक्शे का सत्यापन (ground truthing) एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण.....	10
5. तृतीय चरण : सर्वे पश्चात कार्यवाही.....	12
5.1. प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन :.....	12
5.2. दावा आपत्ति.....	12
5.3. अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन	13
6. बजट.....	14
अनुसूची : क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा	15
परिशिष्ट सूची	17

ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु मार्गदर्शिका

प्रस्तावना :-

मध्यप्रदेश राज्य में ग्रामीण आबादी भूमि के जीआईएस आधारित सर्वेक्षण व भू-मापन कार्य को राजस्व विभाग एवं भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून के द्वारा संयुक्त रूप से संपन्न किया जा रहा है। ग्रामीण आबादी सर्वे की इस योजना को राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत ग्रामीण आबादी का जीआईएस प्रणाली द्वारा भू-मापन कर अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 64, 107(1) (ख) एवं मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अंतर्गत की जायेगी। भारत सरकार ने ग्रामीण आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना प्रारम्भ की है। अतः राज्य की ग्रामीण आबादी सर्वे योजना को केंद्रीय **स्वामित्व योजना** के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है।

इस योजना के क्रियान्वित होने से ग्रामीण संपत्ति का रिकॉर्ड तैयार होगा जिससे ग्राम पंचायतें तथा ग्रामीण आमजन लाभान्वित होंगे। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि योजना के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही इसके हितग्राहियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जावे। इस हेतु विशेष ग्राम सभा आयोजित कर हितग्राहियों को योजना की विशिष्टताओं से अवगत कराया जावेगा। ग्राम सभा में रखे जाने वाले विषय **“परिशिष्ट-1”** में वर्णित हैं।

इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की आबादी का सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख तैयार किया जाना है। अतः सम्बन्धित आबादी क्षेत्र के समीप यदि दखलरहित भूमि पर बसाहटें हैं जो आबादी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 243 के उपबंधों के अधीन कलेक्टर द्वारा दखलरहित भूमि को आबादी घोषित की जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

ग्रामीण आबादी के सर्वे हेतु सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन (यंत्र) के माध्यम से ग्रामीण आबादी स्थल का Imagery एकत्र कर orthorectification process किया जायेगा। तदुपरांत ग्रामीण आबादी भूमि का डिजिटल प्ररूप नक्शा तैयार किया जायेगा। प्ररूप नक्शे के भू-खंड डाटा के साथ समग्र डाटा का उपयोग कर ई-अधिकार अभिलेख तैयार किया जायेगा।

ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण एवं अधिकार अभिलेख निर्माण की इस स्वामित्व योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं, निर्देशों में जहाँ भी नियम का उल्लेख किया गया है उसका आशय उक्त नियमों से है :-

1. पात्रता:

ड्रोन द्वारा आबादी सर्वे कर, केवल उन संपत्ति धारकों का अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (यथा संशोधित 2018) के लागू होने की दिनांक 25/09/2018 को आबादी भूमि पर अधिभोगी थे अथवा जिन्हें इस दिनांक के पश्चात् विधिपूर्वक आबादी भूमि में भूखण्ड का आबंटन किया गया।

2. आबादी सर्वे:-

योजना अंतर्गत उदघोषित आबादी भूमि के सर्वे का कार्य तीन चरणों में किया जायेगा, जो निम्नानुसार हैं:

A) प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी

इस चरण में निम्न कार्य किये जायेंगे:

- a) महत्वपूर्ण जानकारी का आदान-प्रदान
- b) आबादी के सर्वे की पूर्व तैयारी
 - i. विभिन्न समितियों का गठन
 - ii. विभिन्न स्तर पर निगरानी के लिए चैकलिस्ट

B) द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

इस चरण में निम्न कार्य किये जायेंगे:

- a) प्ररूप नक्शे के निर्माण से पूर्व के कार्य
- b) प्ररूप नक्शे का निर्माण
- c) प्ररूप नक्शे का सत्यापन (**ground truthing**) एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण

C) तृतीय चरण : सर्वे पश्चात कार्यवाही

- a) प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन

- b) दावा-आपत्ति
- c) अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन

3. प्रथम चरण : प्रारंभिक तैयारी

3.1. महत्वपूर्ण जानकारी का आदान प्रदान

- 3.1.1. आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा ग्राम के खसरे/नक्शों एवं उपलब्ध सैटेलाइट इमेजरी में निर्मित भवन के स्थानिक विवरण (Spatial Distribution) का अवलोकन एवं विश्लेषण कर ग्रामीण आबादी सीमा निश्चित कर भारतीय सर्वेक्षण विभाग को दिया जायेगा।
- 3.1.2. ड्रोन द्वारा निर्मित आबादी के प्ररूप नक्शे को संपत्ति धारक की जानकारी से लिंक करने हेतु सर्वे सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जायेगा। सर्वे सॉफ्टवेयर का यूजर मैन्युअल पृथक से प्रदान किया जायेगा।
- 3.1.3. आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा राजस्व ग्रामवार सैटेलाइट इमेज के ऊपर आबादी भूमि (खसरा क्रमांक) की सीमा को सुपरइम्पोज कर आबादी भूमि के नक्शा की इमेज भेजी जाएगी जिससे पटवारी द्वारा मौके पर आबादी भूमि की सीमा निर्धारित करने में आसानी होगी (इमेज का उदाहरण “परिशिष्ट-2” में प्रदर्शित है)।

3.2. आबादी के सर्वे की पूर्व तैयारी

3.2.1. विभिन्न समितियों का गठन

जिले में आबादी सर्वे के कार्य का क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी विभिन्न समितियों के माध्यम से की जायेगी। उपरोक्त समितियों का स्वरूप निम्नानुसार होगा:-

I. राज्य संचालन समिति

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग	अध्यक्ष
2.	संभागीय आयुक्त	सदस्य
3.	महानिरीक्षक पंजीयन	सदस्य

4.	आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश	सदस्य- सचिव
5.	ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी, निदेशक के पद से कम नहीं	सदस्य
6.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	सदस्य
7.	केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारी, अवर सचिव के पद से कम नहीं	सदस्य
8.	राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	सदस्य
9.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, MAPIT	सदस्य

समिति के कर्तव्य:

- 1) कार्य के लिए रणनीतिक दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन
- 2) नीतिगत निर्णय
- 3) सभी कार्य वितरण को मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरण के रूप में कार्य
- 4) प्रगति की समीक्षा एवं निगरानी

II. जिला स्तरीय समिति-

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	कलेक्टर (जिला सर्वेक्षण अधिकारी)	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक-सदस्य	सदस्य
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	सदस्य
4.	प्रभारी अधिकारी भू.अभिलेख	सदस्य
5.	अधीक्षक भू.अभिलेख	सदस्य-सचिव
6.	जिला सूचना अधिकारी एनआईसी	सदस्य
7.	जिला प्रबंधक जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी	सदस्य

8.	भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य
----	-------------------------------------	----------------------

समिति के कर्तव्य:

- 1) जिला स्तरीय समिति द्वारा महीने में कम से कम एक बार योजना के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा
- 2) आम जनता में जागरूकता एवं योजना के प्रचार-प्रसार की कार्यवाही (IEC)
- 3) जिले में उपस्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों की लोजिस्टिक्स सहायता हेतु संपर्क अधिकारी की नियुक्ति
- 4) यह सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु कार्यशाला भवन या जिला पंचायत/ जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत के सभागृह आदि निःशुल्क उपलब्ध कराये जावें।
- 5) यह सुनिश्चित करना कि तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमला तथा जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत के सदस्य एवं अन्य स्थानीय जन प्रतिनिधि को इस विषय से भली-भांति अवगत कराया जाये जिससे योजना में उनकी सहभागिता प्राप्त हो सके।
- 6) विभिन्न हितधारियों के प्रशिक्षण (कैपेसिटी बिल्डिंग) कार्यक्रमों का प्रबंध एवं प्रशिक्षकों से समन्वय।
- 7) प्रशिक्षण हेतु लोजिस्टिक्स का प्रबंध

III. तहसील स्तरीय समिति-

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	अनुविभागीय अधिकारी	अध्यक्ष
2.	तहसीलदार	सदस्य-सचिव
3.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत	सदस्य
4.	संबंधित थाना प्रभारी	सदस्य

5.	अधीक्षक भू-अभिलेख अथवा उनके द्वारा नामांकित सदस्य	सदस्य
----	---	-------

समिति के कर्तव्य:

- 1) सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय
- 2) उपस्थित भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण एवं कर्मचारियों द्वारा जमीनी स्तर पर किये जाने वाले कार्य में सहायता एवं समन्वय
- 3) आम जनता में जागरूकता एवं योजना के प्रचार प्रसार की कार्यवाही
- 4) यह सुनिश्चित करना की विभिन्न विभागों को आबादी में उनकी संपत्ति के चिन्हांकन हेतु उपस्थिति की सूचना दे दी गयी है।

IV. ग्राम पंचायत स्तरीय समिति-

क्र.	समिति के सदस्य	पद
1.	सरपंच, संबंधित ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2.	सचिव, ग्राम पंचायत	सदस्य
3.	पटवारी	सदस्य-सचिव
4.	ग्राम कोटवार	सदस्य
5.	ग्राम सभा द्वारा नामांकित दो सदस्य	सदस्य

समिति के कर्तव्य:

- 1) सर्वेक्षण के बारे में गाँव के निवासियों में जागरूकता पैदा करना।
- 2) ड्रोन उड़ान के पूर्व चूने/चूने के घोल से चिन्हांकन का कार्य सुनिश्चित करना।
- 3) डोर टू डोर सर्वे में सहायता एवं समन्वय
- 4) अधिकार अभिलेख संपादन कार्य में सहायता
- 5) सर्वेक्षण करने के लिए जमीनी स्तर की गतिविधियों के लिए समन्वय।
- 6) दावे-आपत्ति के समाधान में सहायता करना।

- 7) ड्रोन द्वारा भू-मापन कार्य के संपादन के लिए आवश्यकता अनुसार श्रमिक एवं सामग्री इत्यादि का प्रबंध ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना।

3.2.2. अधिकारियों द्वारा कार्य की प्रगति एवं निगरानी हेतु चैकलिस्ट

- 1) तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा आबादी सर्वे के कार्य में अधीनस्थ कर्मचारियों में समन्वय एवं विभिन्न चरणों में कार्य की प्रगति को बनाये रखने का दायित्व निर्वहन किया जाना है अतः उनके द्वारा किये जाने वाले कार्यों की चैकलिस्ट क्रमशः “परिशिष्ट-3” एवं “परिशिष्ट-4” पर संलग्न है।
- 2) ग्राम स्तर पर दल द्वारा किये जाने वाले कार्यों की निगरानी हेतु जानकारी पटवारी के माध्यम से प्राप्त किये जाने हेतु पटवारी की चैकलिस्ट “परिशिष्ट-5” पर संलग्न है।

4. द्वितीय चरण : सर्वे की कार्यवाही

4.1. प्ररूप नक्शे के निर्माण से पूर्व के कार्य

- 4.1.1. अधिसूचना का प्रकाशन : आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा संहिता की धारा 64 के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में आबादी भूमि के सर्वेक्षण हेतु नियमों में विहित प्ररूप-बारह संलग्न “परिशिष्ट-6” में अधिसूचना जारी की जायेगी।
- 4.1.2. न्यायालय में प्रकरण दर्ज करना : अधिसूचना अनुसार कलेक्टर/ जिला सर्वेक्षण अधिकारी के न्यायालय में प्रत्येक ग्राम के लिए पृथक-पृथक प्रकरण दर्ज किये जायेंगे।
- 4.1.3. इशतेहार प्रकाशन : जिला सर्वेक्षण अधिकारी सर्वेक्षण प्रारम्भ होने की उद्घोषणा नियमों में विहित प्ररूप-चौदह संलग्न “परिशिष्ट-7” में जारी करेगा। ऐसी उद्घोषणा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 31 में विहित रीति में जारी की जाएगी और उस क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो दैनिक समाचार पत्रों में भी उद्घोषणा प्रकाशित की जाएगी।
- 4.1.4. ग्राम सभा का आयोजन : जिला कलेक्टर द्वारा निर्धारित दिनांक को विशेष ग्राम सभा आयोजित की जावेगी। ग्राम सभा में ड्रोन सर्वेक्षण के महत्व, लाभ एवं कार्य

पद्धति की जानकारी एवं जनजागृति राजस्व अधिकारी/कर्मचारी, सरपंच, उप सरपंच, सचिव, ग्राम पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि व नागरिकों को दी जायेगी।

4.2. प्ररूप नक्शे का निर्माण

4.2.1 शासकीय भूखंडों का चिन्हांकन : पटवारी, सचिव एवं सम्बन्धित विभाग के कर्मचारी द्वारा आबादी भू-भाग (क्षेत्र में) में स्थित शासन के विभिन्न विभागों की परिसम्पत्तियों (स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि) की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी जायेगी एवं स्थल पर चिन्हांकित किया जावेगा।

4.2.2 ड्रोन सर्वे के ठीक पूर्व की तैयारी

- i) ड्रोन द्वारा आबादी सर्वेक्षण हेतु निश्चित दिनांक के एक दिवस पूर्व ड्रोन द्वारा सर्वे कार्य की जानकारी ग्रामवासियों को दिये जाने हेतु सार्वजनिक मुनादी करायी जावे।
- ii) पटवारी द्वारा आबादी भूमि की बाह्य सीमा को चूना / चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जायेगा।
- iii) आबादी भूमि पर निर्मित क्षेत्र एवं उसके संलग्न खुला क्षेत्र की सीमाएँ संबंधित संपत्तिधारक से चूना / चूने के घोल से चिन्हित कराई जाये। निर्मित संपत्ति के साथ खुला क्षेत्र न होने की स्थिति में उक्त संपत्ति सीमाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता नहीं है। संपत्ति की सीमाएँ चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के सहयोग से इसका निराकरण किया जायेगा।
- iv) शासकीय, सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की संपत्ति एवं विभिन्न विभाग की संपत्तियों का चिन्हांकन तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा किया जायेगा। विभागों की संपत्ति के चिन्हांकन के समय संबंधित विभाग का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा।
- v) ड्रोन के उड़ान भरने एवं उतरने हेतु खुला स्थान चुना जाये जिससे आमजन या सार्वजनिक संपत्तियों को कोई नुकसान न पहुंचे।

vi) आबादी भूमि में स्थित शासकीय, सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन हेतु आवश्यकता अनुसार श्रमिकों की व्यवस्था संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

vii) आबादी सर्वे की तैयारी हेतु चैकलिस्ट पटवारी द्वारा “परिशिष्ट-5” में तैयार की जायेगी तथा हस्ताक्षर कर तहसीलदार को भेजी जायेगी।

4.3. प्ररूप नक्शे का सत्यापन (ground truthing) एवं अधिकार अभिलेख का निर्माण

4.3.1. प्ररूप नक्शा : भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SOI) द्वारा तैयार किया गया प्ररूप नक्शा आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा संबंधित जिला कलेक्टर/ जिला सर्वेक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। प्ररूप नक्शे में आबादी क्षेत्र के सभी प्लॉट क्रमांकित होंगे। यह क्रमांक उत्तर-पश्चिम के कोने से प्रारंभ होकर दक्षिण-पूर्व के कोने पर समाप्त होंगे। इस प्ररूप नक्शे में आबादी क्षेत्र की सीमा से लगे हुए अतिरिक्त प्लॉट (यदि कोई हों तो) भी दर्शित होंगे, जिन पर क्रमांक नहीं होगा। इनका उपयोग भौतिक सत्यापन में सुविधा के लिए किया जा सकेगा।

4.3.2. नक्शे का स्थल सत्यापन : तहसीलदार/ सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा प्ररूप नक्शे का स्थल सत्यापन संबंधित पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं कोटवार से डोर-टू-डोर सर्वे के आधार पर कराया जायेगा।

डोर-टू-डोर सर्वे की प्रक्रिया :

1. घर-घर जाकर किये गये सर्वे के समय जो लोग निवासरत पाये जाते हैं उनके मामलों में उनके दिनांक 25-9-2018 की स्थिति में अधिभोगी होने अथवा उसके पश्चात् की तिथि में विधिपूर्वक बसे होने की तसदीक की जायेगी।
2. पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव एवं कोटवार द्वारा घर-घर जाकर नियम-6 में वर्णित अधिकार अभिलेख प्ररूप-तीन संलग्न “परिशिष्ट-8” में प्रत्येक प्लॉट की प्रविष्टियाँ संधारित की जायेगी।

- 3 प्ररूप नक्शे में दर्शित प्लॉट के अधिभोगी परिवार के मुखिया का नाम तैयार की जा रही अधिकार अभिलेख में लिखा जायेगा।
4. अधिकार अभिलेख संधारित करने हेतु समग्र आई.डी. का उपयोग प्राथमिकता से किया जायेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि मोबाइल क्रमांक, ईमेल एवं आधार क्रमांक इत्यादि भी संकलित की जाएगी।
5. जिन मामलों में समग्र आई.डी. नहीं होगी पंचायत से समग्र आई.डी. विधिवत जारी कराते हुए जानकारी पंजी में संधारित की जायेगी।
6. यदि एक प्लॉट में एक से अधिक परिवार निवासरत है तो प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम आपसी सहमति के आधार पर उनके हिस्सा का उल्लेख करते हुए अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा। संपत्ति धारक के नाम का निर्धारण करने की विभिन्न परिस्थितियां “परिशिष्ट-9” में वर्णित हैं।

परिवार की परिभाषा: परिवार से आशय ऐसे व्यक्तियों का समूह जो सामान्यतः एक साथ रहते हैं तथा एक ही रसोई से तैयार भोजन ग्रहण करते हैं जब तक की व्यवसाय की बाध्यता के कारण उनमें से कोई सदस्य ऐसा न करता हो।

7. अधिकार अभिलेख हेतु संधारित जानकारी की सर्वे सॉफ्टवेयर पर विधिवत प्रविष्टि की जायेगी। सर्वे सॉफ्टवेयर पर प्रविष्टि दर्ज करने की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत सॉफ्टवेयर के माध्यम प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रिंट लिया जा सकेगा।

4.3.3. प्ररूप नक्शा में संशोधन : स्थल जाँच व सत्यापन किये जाने के पश्चात प्ररूप नक्शा, यदि प्ररूप नक्शा में संशोधन प्रस्तावित किया गया तो, आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख के माध्यम से सर्वे ऑफ इंडिया को भेजा जाएगा।

4.3.4. संशोधित प्ररूप नक्शा : सर्वे ऑफ इंडिया उपरोक्तानुसार संशोधित प्ररूप नक्शा तैयार कर आयुक्त भू-अभिलेख के माध्यम से संबंधित जिले के कलेक्टर/ जिला सर्वेक्षण अधिकारी को भेजेगें।

5. तृतीय चरण : सर्वे पश्चात कार्यवाही

5.1. प्ररूप अधिकार अभिलेख का प्रकाशन :

जिला सर्वेक्षण अधिकारी प्ररूप अधिकार अभिलेख को नियम-17 के तहत प्ररूप-पंद्रह संलग्न **“परिशिष्ट-10”** में एक उदघोषणा के साथ प्रकाशित करेगा जिसमें हितबद्ध व्यक्ति से उदघोषणा में यथावर्णित तारीख को या उसके पूर्व जो कि उदघोषणा के प्रकाशित होने की दिनांक से पन्द्रह दिन से कम की नहीं होगी, उसके समक्ष दावे तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, फाइल करने की अपेक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त हितबद्ध संपत्ति-धारकों को नियम-17 के तहत प्ररूप-सोलह संलग्न **“परिशिष्ट-11”** में व्यक्तिगत सूचना पत्र भी जारी किया जायेगा तथा नियम-17 के तहत प्ररूप-सत्रह संलग्न **“परिशिष्ट-12”** में इसकी प्राप्ति ली जावेगी।

5.2. दावा आपत्ति

सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा ग्रामवासियों की ओर से प्राप्त दावे/आपत्तियों की जाँच, विहित रीति से सुनवाई करते हुए, की जावेगी। जांच हेतु निम्न कार्यवाही की जाएगी:

- 5.2.1. सूचना पत्र में नियत दिनांक को आबादी अधिकार-अभिलेख में दर्ज प्रत्येक प्रविष्टि को सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा उपस्थित व्यक्तियों को पढ़कर सुनाया जाएगा एवं प्रविष्टियों की जांच की जाएगी।
- 5.2.2. यदि हित रखने वाला कोई व्यक्ति किसी प्रविष्टि का ठीक होना स्वीकार कर ले और कोई अन्य व्यक्ति उस पर आपत्ति ना उठाए, तो उसकी स्वीकारोक्ति अधिकारी द्वारा टिप्पणी के खाने में दर्ज कर ली जाएगी और प्रविष्टि को अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
- 5.2.3. सहायक सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अंतिम भू-अभिलेख तैयार करते समय अपने न्यायालय में लंबित प्रकरणों की सूची नियम-21 के तहत प्ररूप-इक्कीस संलग्न **“परिशिष्ट-13”** में तैयार की जाएगी।
- 5.2.4. यदि कोई विसंगति पाई जाती है तो अधिकार अभिलेख में विधि अनुसार यथोचित संसोधन किया जायेगा।

5.3. अधिकार अभिलेख का अंतिम प्रकाशन

- 5.3.1. जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा आबादी अधिकार अभिलेख के प्ररूप के प्रकाशन उपरान्त प्राप्ति समस्त दावे/आपत्ति का निराकरण होने के बाद अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप दिया जाएगा। यदि नक्शे में कोई संशोधन हुआ है तो उक्त संशोधन को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के माध्यम से संशोधित कराया जायेगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग उपरोक्तानुसार नक्शा संशोधित कर आयुक्त भू-अभिलेख के माध्यम से संबंधित जिले के जिला सर्वेक्षण अधिकारी को भेजेगें।
- 5.3.2. जब किसी ग्राम की आबादी का अधिकार अभिलेख अंतिम रूप से तैयार हो जाए, तब जिला सर्वेक्षण अधिकारी नियम-20 के तहत प्ररूप-उन्नीस संलग्न **“परिशिष्ट-14”** में सूचना का प्रकाशन www.rcms.gov.in पर किया जायेगा।
- 5.3.3. जिला सर्वेक्षण अधिकारी दावे-आपत्ति की सुनवाई के पश्चात अंतिम भू-अभिलेख तैयार करते समय, यदि किसी न्यायालय का ऐसा निर्णय प्राप्त हुआ जो भू-अभिलेख में दर्ज प्रविष्टियों को प्रभावित करता हो, ऐसे मामलों की सूची नियम-21 के तहत प्ररूप-बीस संलग्न **“परिशिष्ट-15”** में तैयार करेगा।
- 5.3.4. जिला सर्वेक्षण अधिकारी, कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को नियम-22 में वर्णित समस्त दस्तावेज हस्तांतरित करेगा, जो रिकॉर्ड रूम में संग्रहित किये जायेंगे।
- 5.3.5. उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् आयुक्त, भू-अभिलेख द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही समाप्त घोषित किये जाने हेतु नियम-28 के तहत प्ररूप-तेरह संलग्न **“परिशिष्ट-16”** में सर्वे समाप्त किये जाने की अधिसूचना जारी की जायेगी।

6. बजट

- 6.1. उक्त योजना के क्रियान्वयन में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सर्वेक्षण की कार्यवाही में ड्रोन सर्वे हेतु उपलब्ध नक्शा अनुसार चूना लाइन डालने हेतु चूना पाउडर की खरीद, मजदूरी तथा अन्य सामग्री क्रय हेतु अधिकतम राशि 5000/- तक प्रति ग्राम व्यय करने की पात्रता होगी।
- 6.2. उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल राजस्व विभाग द्वारा सर्वे पश्चात ग्रामीण आबादी अभिलेखों के निर्माण तथा प्रकाशन, दावे आपत्ति आमंत्रित करना, दावे आपत्तियों का निराकरण तथा संशोधित अभिलेखों के प्रकाशन आदि कार्यों को करने हेतु मजदूरी, सामग्री तथा प्रिंटिंग स्टेशनरी व्यय हेतु अधिकतम राशि 7500/- तक प्रति ग्राम पात्रता होगी।
- 6.3 उपर्युक्त सभी कार्यों हेतु राशि की व्यवस्था राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित MGNREGA, RGSA तथा पंद्रहवे वित्त आयोग की राशि से की जावेगी। यदि इन मदों में तत्समय राशि उपलब्ध न हो तो विभाग की अन्य योजनाओं जैसे चौदहवें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग आदि से पूर्ति की जा सकेगी तथा बाद में इसे समायोजित किया जा सकेगा।

(मनीष रस्तोगी)

प्रमुख सचिव

राजस्व विभाग

मध्य प्रदेश शासन

अनुसूची : क्रियान्वयन हेतु समय-सीमा

क्र. सं.	गतिविधियां	जिम्मेदारी	समय-सीमा	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1.	आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की अधिसूचना जारी किया जाना	आयुक्त, भू-अभिलेख	T-0 Days	संहिता की धारा-64 के अधीन आबादी सर्वेक्षण हेतु अधिसूचना
2	जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा अधिसूचना में वर्णित ग्रामों में आबादी सर्वेक्षण हेतु उदघोषणा जारी किया जाना	जिला सर्वेक्षण अधिकारी	T+8 Days	
3.	ग्रामवासियों को सर्वेक्षण की जानकारी देने हेतु ग्राम सभा का आयोजन	जिला सर्वेक्षण अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	T+15 Days	विशेष ग्राम सभा का आयोजन
4	परियोजना कार्य का लाभ उठाने के बारे में ग्रामीणों को संवेदनशील बनाना	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत	T+30 Days	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सरपंच एवं पंचायत सचिव के माध्यम से ग्रामीणों को आबादी सर्वेक्षण एवं उसके लाभ के संबंध में जानकारी प्रदाय करेंगे।
5	ड्रोन उड़ान के पहले मालिकों के साथ संपत्ति की सीमाओं पर चूना लाईन द्वारा अंकन	ग्राम पंचायत पटवारी	T+45 Days	आबादी क्षेत्र में ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण के पहले निवासरत मालिकों की संपत्ति की सीमाओं पर चूना/चूने के घोल द्वारा 2 दिन पूर्व अंकन किया जावेगा।
6	ड्रोन द्वारा आबादी की फॉटोग्राफी	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	T+45 Days	जिला सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा संबंधित ग्रामों की आबादी का सैटेलाइट इमेजरी डाटा उपलब्ध करायेंगे।
7	ड्रोन डेटा प्रोसेसिंग और आर्थो रेक्टिफिकेशन	भारतीय सर्वेक्षण विभाग	T+75 Days	
8	डोर-टू-डोर सर्वे कार्य	पटवारी / सचिव	T+120 Days	

9	आबादी अभिलेखों का प्रकाशन एवं दावा आपत्तियों का निराकरण	सहायक सर्वेक्षण अधिकारी	T+150 Days	
10	आबादी अभिलेख एवं नक्शा का अंतिम प्रकाशन	जिला सर्वेक्षण अधिकारी	T+165 Days	
11	सर्वेक्षण संक्रियाओं के समापन की अधिसूचना जारी किया जाना।	आयुक्त भू-अभिलेख	T+180 Days	

परिशिष्ट सूची

परिशिष्ट - 1

विशेष ग्राम सभा में रखे जाने वाले विषय

1. ग्राम पंचायत का हित

- संपत्ति रजिस्टर तैयार होने से ग्राम पंचायत की स्थायी आय की व्यवस्था होगी।
- ग्राम पंचायत को उसके क्षेत्राधिकार में संपत्ति धारण करने वालों की जानकारी से समग्र आई.डी. डाटा से अद्यतन रहने पर ग्राम विकास की योजना बनाने में सुविधा होगी।
- ग्राम पंचायत की संपत्ति, शासकीय व सार्वजनिक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल निश्चित होने से उनका रखरखाव किया जा सकेगा और उनसे संबंधित सीमा विवाद में कमी आवेगी।
- प्रत्येक संपत्ति की सीमा एवं क्षेत्रफल सुनिश्चित होने से ग्राम में निजी सम्पत्ति के विवाद कम होंगे।

2. ग्राम वासियों के हित

- प्रत्येक संपत्ति धारक को संपत्ति का प्रमाण-पत्र एवं भूमिस्वामित्व प्राप्त होगा।
- यंत्रों (ड्रोन) के माध्यम से कार्य होने के कारण अभिलेख का निर्माण शीघ्रता से एवं शुद्धता के साथ होगा।
- सार्वजनिक उपयोग की संपत्ति का संरक्षण होगा।
- रास्ते, ग्राम पंचायत की खुली जगह, नाले, सरोवर इनकी सीमाएं निश्चित होंगे जिससे उनका उपयोग भी सुनिश्चित हो सकेगा।
- संपत्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त होने से मकान पर बैंक से कर्जा लेना आसान होगा।
- आबादी क्षेत्र का भूमापन पूर्णतः पारदर्शी होगा और हर एक संपत्ति धारक को उनका अधिकार अभिलेख प्राप्त होगा।

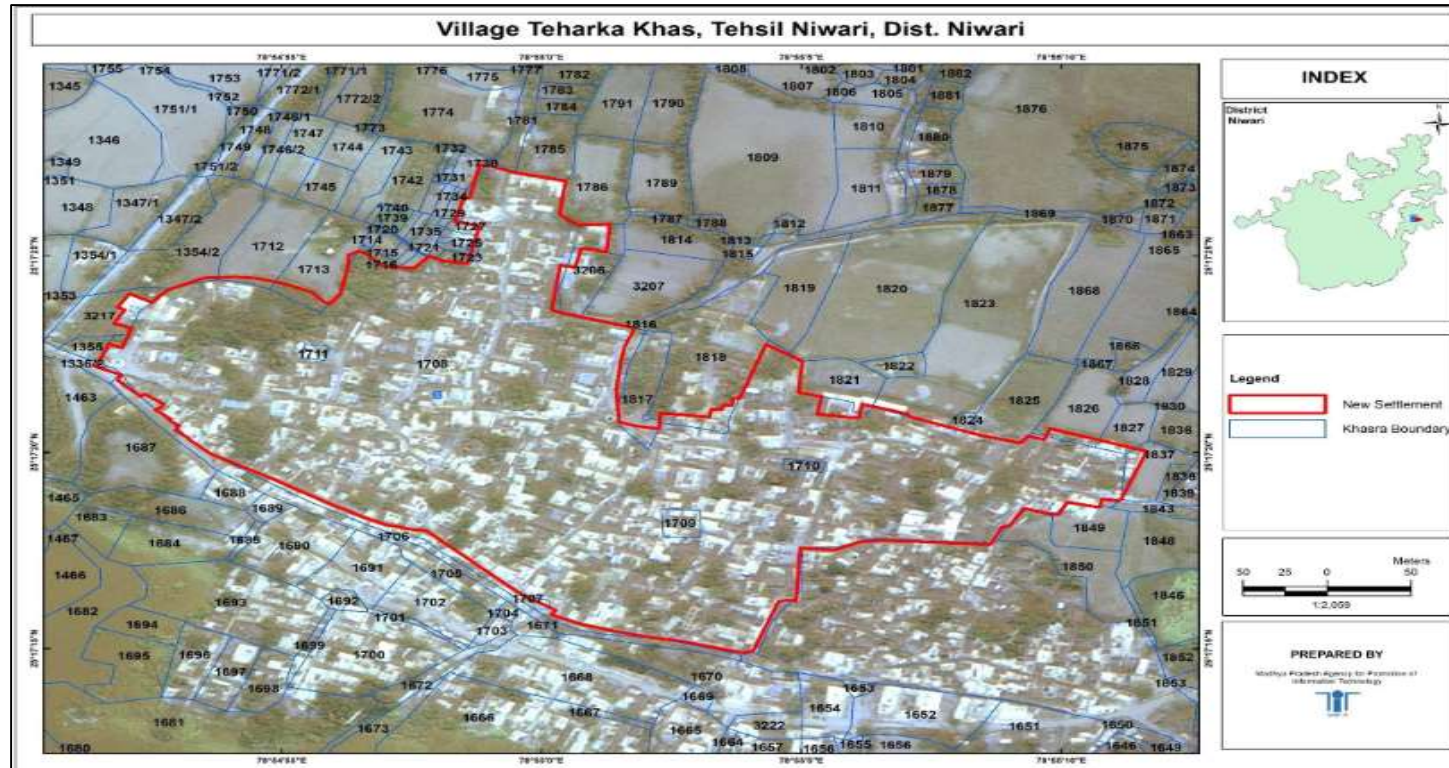
3. ड्रोन सर्वे कार्य के समय ग्राम वासियों के कर्तव्य

- ग्राम सभा में अधिक से अधिक सख्या में उपस्थित होकर आबादी क्षेत्र के भू-मापन की प्रक्रिया एवं उससे होने वाले लाभ की जानकारी प्राप्त करें।
- ग्राम पंचायत को अपनी संपत्ति की जानकारी देना चाहिए।

- ग्राम पंचायत सचिव एवं पटवारी को अपनी सम्पत्ति, नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नम्बर, समग्र आदि जानकारी देना चाहिए जिससे अधिकार अभिलेख में सही जानकारी आ सके।
- गांव में अपने पड़ोसी मित्र और रिश्तेदारों को ड्रोन सर्वे के बारे में जानकारी देना चाहिए।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी गांव में संपत्ति है और वे गांव से बाहर रहते हैं उनको इस सर्वे के बारे में जानकारी देनी चाहिए और उनके मोबाइल नंबर पटवारी अथवा पंचायत सचिव को उपलब्ध कराना चाहिए।
- ड्रोन से सर्वे के दौरान संपत्ति धारकों द्वारा अपनी-अपनी सम्पत्ति को चूना डालकर सीमा बनाने से वे भविष्य में होने वाले विवादों को रोक सकेंगे।
- यह कार्य नये सिरे से होने के कारण सम्पत्ति धारक मौके पर आपसी सहमति से चूना लाइन डालकर अपने विवादों को पूर्णरूप से हल कर सकेंगे।
- किसी सम्पत्ति के विषय में यदि कोई विवाद किसी न्यायालय में चल रहा है तो उसके बारे में जानकारी देना चाहिए।

परिशिष्ट - 2

आबादी भूमि की सेटेलाइट इमेज :



नोट: यहाँ यह जानना आवश्यक है, आबादी में स्थित शासकीय, सार्वजनिक ग्राम पंचायत संपत्तियों के चिन्हांकन की सैटेलाइट इमेजरी का रेसोल्यूशन 0.5 मीटर होने से कुछ स्थानों पर यह सीमा पेड़ों अथवा भवनों के ऊपर से गुजरती हुई प्रतीत होगी इस स्थिति में उस सीमा को मौके पर माप कर चूना / चूने के घोल से चिन्हित करायी जाए। यदि किसी जगह आबादी सीमा मौके पर चिन्हित करने में विवाद कि स्थिति है तो तहसीलदार द्वारा गठित दल इसका सत्यापन कर चूना / चूने के घोल से आबादी की सीमाएँ चिन्हित करेंगे।

परिशिष्ट – 3

तहसीलदार/ सहायक सर्वेक्षण अधिकारी की चेकलिस्ट

ग्राम का नाम..... तहसील..... जिला.....

गांव की जनसंख्या.....आबादी का सर्वे नम्बरक्षेत्रफल

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन सर्वे पहले नहीं हुआ है?		
2	क्या ड्रोन उड़ान की सक्षम अधिकारी से प्राप्त स्वीकृति सर्वे ऑफ इंडिया को प्राप्त हो चुकी है?		
3	क्या स्थानीय पुलिस थाना को ड्रोन सर्वे की जानकारी और समय सारणी दे दी गई है?		
4	क्या कर्मचारियों को समय सारणी के अनुसार कार्य का वितरण किया है?		
5	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की है?		
6	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्राम वासियों को दी गई है?		
7	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की जानकारी को समग्र डाटा में अद्यतन कर दिया गया है?		
8	शासकीय विभाग की सम्पत्तिओं के चिन्हांकन के संबंध में सर्व सम्बन्धित को उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया है?		
9	क्या सेटेलाइट इमेज पर अंकित ग्राम आबादी की सीमा मौके पर चिन्हित की गयी है?		
10	क्या चूने/चूने के घोल द्वारा सभी संपत्तियों को चिन्हित किया है?		
11	पटवारी एवं सचिव द्वारा आबादी सीमा में शासन के विभिन्न विभागों को आबंटित भूमि (स्कूल, आंगनबाड़ी, अस्पताल इत्यादि) की जानकारी तहसीलदार द्वारा गठित दल को दी गयी है?		

ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण होने के पूर्व यह सूची तहसीलदार उपखण्ड/ उप जिला सर्वेक्षण अधिकारी को सौपेगे।

हस्ताक्षर व दिनांक

तहसीलदार

तहसीलजिला.....

परिशिष्ट – 4

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत की चेकलिस्ट

ग्राम का नाम..... तहसील..... जिला.....

गांव की जनसंख्या.....आबादी का सर्वे नम्बरक्षेत्रफल

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या विशेष ग्राम सभा आयोजित कर सर्वे की जानकारी ग्रामवासियों को दी गई है?		
2	क्या ड्रोन सर्वे की समय सारणी ग्राम पंचायत के पटल पर प्रदर्शित की है?		
3	क्या आबादी भूमि में निवासरत व्यक्तियों की संपत्तियों को समग्र आई.डी. डाटा में अद्यतन कर दिया गया है?		
4	क्या सार्वजनिक / शासकीय संपत्ति को चिन्हित करने के लिए ग्राम पंचायत के पास पर्याप्त मात्रा में चूना/ चूने के घोल उपलब्ध है?		
5	क्या ड्रोन उड़ान के पूर्व की सभी तैयारियां हो चुकी है?		

ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण होने के पूर्व यह सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी को सौंपेगे

हस्ताक्षर व दिनांक

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

जनपद पंचायतजिला

परिशिष्ट – 5

ड्रोन से आबादी सर्वे के दौरान पटवारी की चेकलिस्ट

ग्राम का नाम..... तहसील..... जिला.....

गांव की जनसंख्या.....आबादी का सर्वे नम्बरक्षेत्रफल

क्रमांक	विवरण	दिनांक	हाँ / नहीं
1	क्या अलग-अलग क्रम में ड्रोन सर्वे के बारे में शुरू से आखरी तक नोटिस वितरण आदि कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है?		
2	क्या ग्राम वासियों को ड्रोन सर्वे के बारे में मुनादी कर जानकारी दी गयी है?		
3	सेटेलाइट इमेज के ऊपर प्राप्त आबादी क्षेत्र सीमा का प्रतिरूपण कर चुना/ चुने के घोल से सीमा नियत कर दी गई है?		
4	क्या निर्देशानुसार सम्पत्तियों को चुना/ चुने के घोल से चिन्हित किया जा चुका है?		
5.	क्या ड्रोन सर्वे प्रारंभ होने से समाप्त होने तक सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों/ ग्रामीणों की सर्वे कार्य के संबंध में सहायता हेतु आपके दल के सभी सदस्यों की उपस्थिति सुनिश्चित कर ली गयी है?		

यह सूची पटवारी तहसीलदार को सौपेगी।

हस्ताक्षर व दिनांक

पटवारी का नाम व मोबाईल नंबर

परिशिष्ट – 6

प्ररूप-बारह
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

क्रमांक— / भू-सर्वेक्षण / — / 2020

ग्वालियर, दिनांक.....

अधिसूचना
भू-सर्वेक्षण का प्रारम्भ

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

सरल क्रमांक	जिला	तहसील	ग्राम / नगर	पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक	भू-सर्वेक्षण के अधीन लिए गए क्षेत्र
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(6)

आयुक्त, भू-अभिलेख,
मध्यप्रदेश

परिशिष्ट – 7

प्ररूप-चौदह
(नियम 14 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक—/भू-सर्वेक्षण/—/2020

दिनांक

अधिसूचना

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 14 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं..... जिला सर्वेक्षण अधिकारी, एतद्वारा यह घोषित करता हूँ कि आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक जो कि राजपत्र में प्रकाशित की गई है, जिसमें वर्णित क्षेत्र भू-सर्वेक्षण के अधीन अधिसूचित किए गए हैं।

भू-सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें समस्त खातेदारों के नाम, उनके अंश, दायित्व तथा सुखाचार अधिकार अभिलिखित किए जाएंगे तथा ग्रामों के लिए निस्तार पत्रक तथा वाजिब-उल-अर्ज भी तैयार किया जाएगा।

उन सभी व्यक्तियों से जो कि प्रभावित हो सकते हों, यह अपेक्षा की जाती है कि वे उक्त सर्वेक्षण संक्रियाओं के दौरान अपने क्षेत्र में उपस्थित रहें तथा अभिनियोजित कर्मचारियों को सहयोग करें तथा भूमि में उनके स्वत्व, सीमाओं, अंशों, दायित्वों और अधिकारों को उपलब्ध कराएं। यह समस्त कृषकों के हित में होगा।

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला

परिशिष्ट - 8

प्ररूप-तीन
(नियम 6 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

અધિકાર અભિલેખ

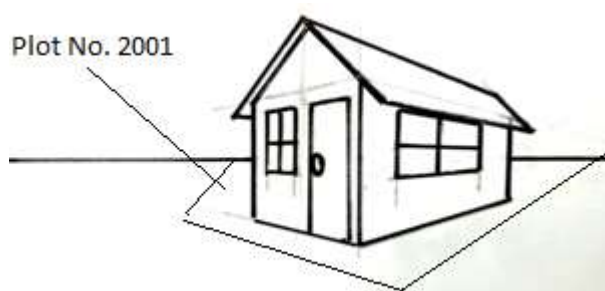
ग्राम/नगर.....पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक.....तहसील.....जिला

[illegible]

परिशिष्ट - 9

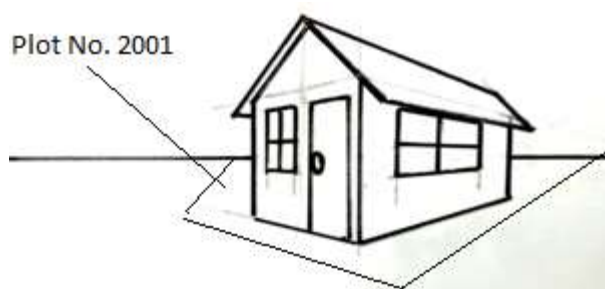
आबादी सर्वे कार्य के दौरान संपत्ति धारक के नाम का निर्धारण करते समय निम्नांकित परिस्थितियाँ मौके पर हो सकती हैं :-

परिस्थिति-01 - ऐसी संपत्ति जहाँ एक मकान में एक परिवार निवासत हो, उसमें परिवार के मुखिया का नाम संबंधित प्लॉट नंबर के साथ अंकित किया जावेगा।



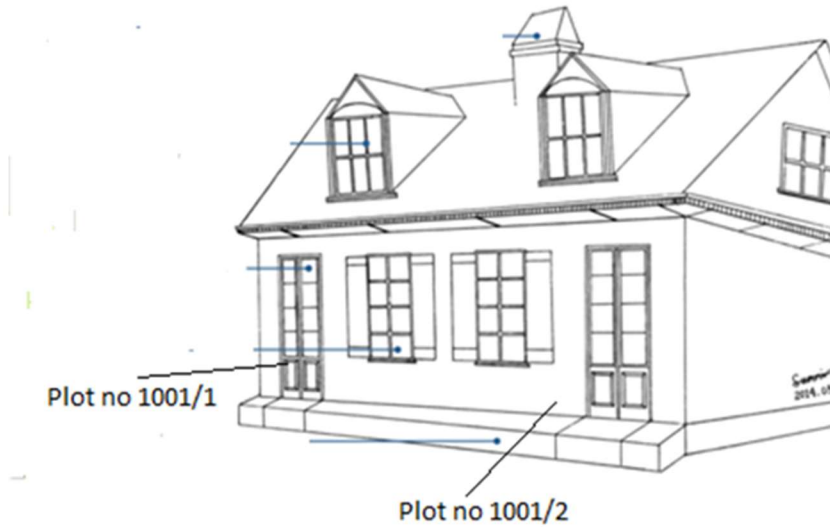
उदाहरण 02 - प्लॉट नंबर 2001, राहुल पुत्र राजेश

परिस्थिति-02 - ऐसी संपत्ति जहाँ एक मकान में एक से अधिक परिवार निवासरत हैं, उसमें प्रत्येक परिवार के मुखिया का नाम एवं हिस्सा की जानकारी संबंधित प्लॉट नंबर के साथ अंकित किया जावेगा।



उदाहरण 02 - प्लॉट नंबर 2001, राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/2, रवि पुत्र मोहनचंद्र हिस्सा 1/2

परिस्थिति-03 - ऐसी संपत्ति जहाँ निर्मित मकान में एक से अधिक परिवार निवास करते हैं और उनकी छत आपस में जुड़ी हुई हैं, किन्तु आने-जाने हेतु अलग-अलग दरवाजा है और स्थल पर उक्त सम्पत्ति को अलग अलग संपत्ति के रूप में नक्शे में विभाजित कर दर्शाया जा सकता हो। प्ररूप नक्शे में ऐसी संपत्ति हेतु यदि एक ही प्लॉट नंबर अंकित किया गया है।



उदाहरण 03- प्राप्त प्लॉट नंबर 1001 जिसमें 02 पृथक दरवाजे हैं, दोनों परिवार के निवास हेतु, एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 02 पृथक परिवार हैं
 प्लॉट नंबर 1001/1 राहुल पुत्र राजेश
 प्लॉट नंबर 1001/2 रवि पुत्र मोहनचंद्र

परिस्थिति-04 - ऐसी संपत्ति जिसमें निर्मित मकान की छत आपस में जुड़ी हुई हैं और एक से अधिक परिवार निवास करते हैं एवं आने-जाने हेतु एक ही दरवाजा है, या एक मकान एक मंजिल में एक या अधिक परिवार एवं दूसरी मंजिल में एक या अधिक परिवार निवासरत हों, ऐसे प्लॉट को शामिल संपत्ति माना जाकर निवासरत परिवारों के मुखिया के नाम अंकित कर हिस्सा अंकित किया जावेगा।



उदाहरण 04- प्लॉट नंबर 1005 जिसमें निकास हेतु एक दरवाजा है एवं परिवार की परिभाषा अनुसार 03 परिवार शामिल रूप से निवासरत हैं, या तीनों परिवार मकान की अलग-अलग मंजिल/ हिस्से पर निवासरत हैं, वहाँ निम्नानुसार जानकारी अंकित की जा सकेगी :-

प्लॉट नंबर 1005

राहुल पुत्र राजेश हिस्सा 1/3, रवि पुत्र मोहनचंद्र हिस्सा 1/3, अतुल पुत्र ज्ञानी हिस्सा 1/3

परिशिष्ट - 10

प्रारूप-पन्द्रह
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

दिनांक.....

उद्घोषणा

प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना।

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में सर्वसाधारण के लिए यह उद्घोषणा जारी की जाती है कि ग्राम/नगरपटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक के अधिकार अभिलेखों को जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। अधिकार अभिलेखों की प्रति एतद्वारा पर प्रदर्शित की गई है जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित हैं। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अपनी आपत्तियों को दिनांक..... के पूर्व जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकता है।

इस उद्घोषणा में ऊपर दी गई दिनांक का अवसान हो जाने पर दावों तथा आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

स्थान

दिनांक मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला

परिशिष्ट - 11

प्रारूप-सोलह
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020
कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

दिनांक.....

सूचना

प्रारूप भू-अभिलेख के संबंध में दावे तथा आपत्तियां आमंत्रित किया जाना

प्रति,

खातेदार का नाम.....

(भूमिस्वामी / सरकारी पट्टेदार)

ग्राम / नगर

पटवारी हल्का क्रमांक / सेक्टर क्रमांक.....

तहसील.....जिला.....

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 17 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में आपको यह सूचित किया जाता है कि ग्राम / सेक्टर के अधिकार अभिलेखों को जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। आपसे संबंधित खाता संख्यांक..... के अधिकार अभिलेख के प्रारूप की प्रति एतद्वारा संलग्न है जिसमें प्रस्तावित संशोधनों के समस्त ब्यौरे वर्णित हैं। कृपया ब्यौरों का अध्ययन कर लें अथवा उन्हें किसी अन्य व्यक्ति से समझ लें। यदि किसी प्रविष्टि के संबंध में आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्तियों को अधिकार अभिलेखों को अंतिम रूप दिए जाने के दौरान जिला सर्वेक्षण अधिकारी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष लिखित में अथवा व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्नक- अधिकार अभिलेखों के प्रारूप की प्रति!

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी / प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला

परिशिष्ट - 12

प्ररूप-सत्रह
(नियम 17 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

सूचनाओं की तामीली की अभिस्वीकृति का रजिस्टर

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर को सम्मिलित करते हुए ग्राम/नगर का नाम	उस व्यक्ति का नाम जिसे सूचना जारी की गई है।	सूचना प्राप्त करने वाले का नाम तथा उस व्यक्ति से संबंध जिसे कि सूचना जारी की गई है।	प्राप्त करने वाले के हस्ताक्षर	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

परिशिष्ट - 13

प्ररूप-इक्कीस
(नियम 21 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के न्यायालय में लम्बित प्रकरणों की सूची

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक तथा दायरा का दिनांक	प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)

परिशिष्ट - 14

प्ररूप-उन्नीस
(नियम 20 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

अंतिम भू-अभिलेखों के प्रकाशन की सूचना

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 20 के उप नियम (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में एतद्वारा, सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि ग्राम/नगर..... पटवारी हल्का क्रमांक/सेक्टर क्रमांक..... तहसील..... जिला मध्यप्रदेश के भू-अभिलेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और बेबसाईट.. पर प्रकाशन किया जा चुका है।

स्थान

दिनांक

मुद्रा

जिला सर्वेक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर
जिला

परिशिष्ट - 15

प्ररूप-बीस
(नियम 21 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

कार्यालय जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला

उन प्रकरणों की सूची जिनमें किसी न्यायालय के विनिश्चय से भू-अभिलेख की प्रविष्टियां प्रभावित हो रही हों :

सरल क्रमांक	प्रकरण क्रमांक		प्रकरण का संक्षिप्त विवरण	अभ्युक्तियां
	दायरा दिनांक	न्यायालय का नाम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

परिशिष्ट - 16

प्ररूप-तेरह
(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020

क्रमांक- / भू-सर्वेक्षण / - / 2020

ग्वालियर, दिनांक

अधिसूचना

भू-सर्वेक्षण को बन्द करने की घोषणा

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन 1959) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश एतद्वारा यह घोषित करते हैं कि राजपत्र दिनांक में प्रकाशित आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक दिनांक में वर्णित क्षेत्र पर संचालित भू-सर्वेक्षण बन्द किया जाता है।

आयुक्त, भू-अभिलेख,
मध्यप्रदेश